



परिशिष्ट- 14

बीज कम्पनी के लिये अनुदान दावा सत्यापन प्रपत्र-क

निगम :

वर्ष :

फसल :

योजना :

मौसम : रबी / खरीफ

जिला :

क्र० सं०	विक्रेता का नाम एवं पता	विक्रय इन्वायस (सत्यापित प्रति)		प्रभेद	बीज की मात्रा	मुल्य / कि०	बीज का कुल मूल्य	अनुदान की राशि	अभ्युक्ति
		संख्या	दिनांक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- बीज प्रतिष्ठान के प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
- नोट : (1) सरकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में मेरे अधिकृत बीज विक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर बीज वितरण किसानों को किया गया है।
- (2) अनुदानित दर पर बीज वितरण में किसी प्रकार की त्रुटि के लिये पूर्णतः मेरा प्रतिष्ठान जिम्मेवार होगा।

परिशिष्ट- 15

जिला कृषि पदाधिकारी के लिये बीज विक्री सत्यापन प्रपत्र-ख

जिला का नाम :

फसल का नाम :

श्रोत (बीज कम्पनी का नाम) :

योजना का नाम :

(इकाई : कि०टन में)

जिला वितरक/विक्रेता प्रतिष्ठान का नाम	वास्तविक आपूर्ति मात्रा	कृषक को वितरित बीज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	2	3	4

“प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरणी में बीज की सत्यापित मात्रा जिला के कृषकों को अनुदानित दर पर विक्रय कराया गया है।”

जिला कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोट : जिला कृषि पदाधिकारी अनुदान दावा की मात्रा का सत्यापन संलग्न कागजात के आधार पर भंडार पंजी, वितरण पंजी का सत्यापन करेंगे। बीज विक्री सत्यापन प्रतिवेदन अनुदान दावा प्रपत्र-क की प्राप्ति से 10 दिनों के अन्दर सत्यापन कर कृषि निदेशक/मिशन निदेशक को निम्न विहित प्रपत्र-ख में उपलब्ध करायेंगे।